

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1036

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

स्वास्थ्य बीमा के संबंध में उच्च प्रीमियम

1036. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम बहुत अधिक है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): इरडाई ने यह सूचित किया है कि बीमा कंपनियां संबंधित बीमाकर्ताओं की बोर्ड अनुमोदित हामीदारी नीति के आधार पर स्वास्थ्य बीमा उत्पाद तैयार करती हैं और उसका मूल्य निर्धारण करती हैं, जो प्रीमियम निर्धारित करने के लिए आयु, रुग्णता संबंधी आंकड़े, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों, उत्पाद सुविधाओं आदि जैसे बीमांकिक सिद्धांतों और मापदंडों पर विचार करती हैं।

इसके अतिरिक्त, इरडाई ने दिनांक 20.3.2024 को 'इरडाई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024' और दिनांक 29.5.2024 को 'इरडाई (बीमा उत्पाद) विनियम 2024 - स्वास्थ्य बीमा पर मास्टर परिपत्र' जारी किया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के उपबंध शामिल हैं कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम बहुत अधिक न हो। इन विनियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया जाता है कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी प्रीमियम दरें उचित हों और अत्यधिक, अपर्याप्त अथवा अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण न हों तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें। इसके साथ ही, बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को पॉलिसी के नवीकरण के समय बीमा राशि बढ़ाकर या प्रीमियम राशि को कम करके 'नो क्लेम बोनस' चुनने का विकल्प देकर दावा मुक्त वर्ष के लिए पुरस्कृत कर सकते हैं।

(ग): भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत पांच वर्ष के दौरान 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	2,86,530	5,25,638	6,45,214	8,43,633	9,03,934
